



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: idpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (01)आकाशि /नि.सं./ 2020 / 492

दिनांक:- 18/09/2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी औषिक संथा अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिली महाविद्यालय नोटि के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 2022-23 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निझी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शार्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
कामिटीशन पलस सरस्थान, 51 / 1509, वेद विहार, लालाखान, अजमेर।	आर्य नारायणी देवी महाविद्यालय, दाता, वीर सर्किल, नसीराबाद रोड, अजमेर।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय— लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, वित्तकला, अथशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, सरस्कृत, हिन्दी साहित्य, इतिहास, गृहविज्ञान, गणित, राजनीति विज्ञान। विज्ञान संकाय— भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र।

- संस्था अवधारी अनापति प्रमाण—पत्र प्राप्त करें तथा हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क अवैदन करेगी।
- संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र आभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापति प्रमाण पत्र प्राप्ति प्रस्ताव तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा साधि जाना राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगी। तत्प्रथम ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेंगी। तत्प्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्था प्रथम अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रस्तावत महाविद्यालय में विश्वविद्यालय एवं पी.टी.आई. तथा राज्य द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयालय एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशेषणिक रूपाक की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेंगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रेषण दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर महाविद्यालय को विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूरा सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के देवोपर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्प्रथमत महाविद्यालय इसकी हाई कॉर्पी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगे।
- महाविद्यालय इसकी हाई कॉर्पी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त शार्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
- विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - निझी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - निझी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कलेक्टर, अजमेर।
 - कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
 - सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
 - सामियकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - रहित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निर्माण) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर